तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 170/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/378) बअनवान गुड्डू कंवर बनाम हुकमपुरी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

गुड्डू कंवर

बनाम

हुकमपुरी इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिवाकर, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 7

आदेश

दिनांक 08.04.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2021 अनवान हुकमपुरी बनाम गुड्डी कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 जनवरी 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 सितंबर 2024 को प्रस्तुत 04 अक्टूबर 2023 की गई।

अपीलार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1477/1 रकबा 30 बीघा भूमि में सें अपीलार्थीनी द्वारा 28 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या दो रामपुरी जो वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड एकल खातेदार है, से दिनांक 05.04.2021 को खरीद की गई। उक्त बेचाननामा उपपंजीयक शेरगढ के कार्यालय में पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 181 में पृष्ट संख्या 9 क्रम संख्या 202103083100300 पर पंजीबद्ध है। वादग्रस्त आराजी सें वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक

	हुकमपुरी का कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उक्त खसरा नं. 1477/1 में वादी रेस्पोडेंट संख्या एक हुकमपुरी खातेदार ही नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक को वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद लाने का भी कोई अधिकार नहीं था। अपीलार्थीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलार्थीनी के नाम नामांतरकरण की कार्यवाही रूक गई है, जिससे अपीलार्थीनी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपीलार्थीनी सद्भाविक क्रेता है एवं रेकर्डेड खातेदार से भूमि क्रय की है। इस कारण प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीनी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलार्थीनी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात वकीलों की हड़ताल एवं तत्पश्चात प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हो जाने से अपीलार्थीनी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं मिल सकी। दिनांक 21.09.2023 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर उसी दिन नकल प्राप्त कर जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीनी द्वारा जानबूझ कर कोई विलंब नहीं किया गया है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर मयाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 जनवरी 2023 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीनी को पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर नामांतरकरण की छूट प्रदान करावे। जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिक्ता	

	के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलार्थीनी बिना विधिवत विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजी में प्रवेश नही कर सकती है। अतः अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1477/1 रकबा 30 बीघा के रेकर्डेड खातेदार रामपुरी पुत्र श्री लादपुरी से दावा दायरी पूर्व पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 05.04.2021 के जरिये 28 बीघा भूमि खरीद किया जाकर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया है। अपीलार्थीनी सद्भाविक क्रेता होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2023 के जरिये अपीलार्थीनी को पंजीबद्ध विक्रय विलेख की पालना में नामांतरकरण की कार्यवाही की छूट प्रदान की जाकर वांछित त्वरित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 170/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/378) बअनवान गुड्डू कंवर बनाम हुकमपुरी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	लिहाजा उक्त छूट को बहाल रखते हुए हस्तगत अपील को निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2023 में पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 05.04.2021 की पालना में अपीलार्थीनी को नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को प्रदान की गई छूट को बहाल रखा जाकर अपीलार्थीनी पाबंद किया जाता है कि वह बाद नामांतरकरण कार्यवाही अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के बाद अपीलाधीन आदेश से पाबंद रहेगी। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	